



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275627
CG-DL-E-20082026-275627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948

No. 682]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 748(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उप खंड (i) में सा. का. नि. 527 (अ), दिनांक 29 जून, 2026 जारी संख्या 475 में प्रकाशित कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 में, --

1. पृष्ठ 2 पर,-

i. पंक्ति 18 में, “सुरक्षा समझौता” के लिए “सामाजिक सुरक्षा समझौता” पढ़ें;

2. पृष्ठ 3 पर,-

i. पंक्ति 10 में, “के वेतन” के लिए “को मजदूरी” पढ़ें;

3. पृष्ठ 3 पर,-

i. पंक्ति 30 में, “शास्ति के रूप में” को लोप करें;

4. पृष्ठ 6 पर,-

i. पंक्ति 26 में, “उप-पैरा (3) के अधीन परिकलित खंड (क) और (ख) का कुल योग” के लिए “उप-खंड (i) और (ii) का उपरोक्त परिकलित कुल योग” पढ़ें;

5. पृष्ठ 11 पर,-

- i. पंक्ति 26 में, “पैरा 12 के उप-पैरा (8)” के लिए “पैरा 12 के उप-पैरा (10) का खंड (ख)” पढ़ें;
- ii. पंक्ति 27 में, के लिए “12” के लिए “13” पढ़ें;

6. पृष्ठ 29 पर,-

- (i) सारणी – 3 की पंक्ति 4 में, कॉलम (2) में, “2,421” के लिए “2,421” पढ़ें;
- (ii) सारणी – 3 की पंक्ति 13 में, “1065b” के लिए “10650” पढ़ें।

[फा. सं. एस-35025/25/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव